वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की "कार्य परिषद" की दिनांक 15.10.2024 को सम्पन्न हुई 18 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की कार्य परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 15 अक्टूबर 2024 पूर्वान्ह 1:30 बजे विश्वविद्यालय के "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेंस हॉल" में मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि.देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नॉकित मा0 सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहेः–

(1) प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –अध्यक्ष
(2) डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, –सदस्य
(3) श्रीमती रजनी शुक्ला, अपर सचिव, न्याय प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
(4) श्री विजय कुमार, सयुंक्त सचिव, प्रतिनिधि सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। –सदस्य
(5) श्री अरविन्द सिंह पांगती,सयुंक्त सचिव, प्रतिनिधि, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
(6) डॉ0 मीनाक्षी रावत, प्रतिनिधि निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की। –सदस्य
(7) श्रीमती किरण भट्ट टोडरिया, पूर्व फिक्की अध्यक्ष, उत्तराखण्ड । –सदस्य
(8) श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड। –सदस्य
(9) डॉ0 डी0पी0 गैरोला, से0नि0 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन। –सदस्य
(10) डॉ0 अमित अग्रवाल, निदेशक, आई0टी0, गोपेश्वर, चमोली गढ़वाल । –सदस्य
(11) प्रो0 शरद प्रधान, निदेशक, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी, गढ़वाल। –सदस्य
(12) प्रो0 एम0 के0 पांडा, निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(13) प्रो0 एच.एल. मंडोरिया, निदेशक, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इस्टी0 ऑफ टेक0, टनकपुर। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(14) प्रो0 अजीत सिंह, कार्यवाहक निदेशक, नन्ही परी सीमान्त अभियान्त्रिकी संस्थान, पिथौरागढ।–विशेष आमंत्रित सदस्य
(15) प्रो0 एच.एस. भदौरिया, कार्यवाहक,निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान बौन, उत्तराकाशी, –विशेष आमंत्रित सदस्य
(16) श्री बिक्रम सिंह जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(17) डॉ0 वी0के0पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(18) प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –पदेन सचिव

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति महोदय के संक्षिप्त उद्बोधन उपरांत कुलसचिव द्वारा मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय का अभार व्यक्त करते हुए मा0 कार्य परिषद के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं0–18.01
कार्य परिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चय–
बैठक में सर्वसम्मति द्वारा कार्य परिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न होने के दृष्टिगत कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–18.02

कार्य परिषद की 17वीं सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय–

मा0 कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा कार्य परिषद की 17वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों का संज्ञान लिया गया एवं कतिपय बिन्दुओं पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये:–

बिन्दु संख्या 17–07 में मा0 परिषद द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रकरण पर समुचित प्रस्ताव शासन को अनुमोदन/दिशा–निर्देश हेतु प्रेषित किया जाय।

बिन्दु संख्या 17–08 शासन के पृच्छा के क्रम में समुचित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाय।

बिन्दु संख्या 17–10 मा0 परिषद द्वारा निर्देश दिया गया कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र के सम्बन्ध में देश के किसी आई0आई0टी0 से Collaboration किया जाय।

बिन्दु सं0:–18–03

विश्वविद्यालय में वित्त समिति की दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न 24वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चय:–

वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में वित्त समिति की दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न 24वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर सहमति व्यक्त करते हुए जारी होने वाले कार्यवृत्त पर माननीय कार्य परिषद द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक–1)

बिन्दु सं0:–**18–04**

विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की दिनांक 26 जून 2024 को संपन्न 38वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चय:–

वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में सम्पन्न परीक्षा समिति की दिनांक 26 जून 2024 को सम्पन्न 38वीं बैठक में लिये गये निर्णयों से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई। कार्यवृत्त पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक–2)

बिन्दु सं0:–**18–05**

विश्वविद्यालय में विद्या परिषद की दिनांक 27 जुलाई 2024 को सम्पन्न 20वीं बैठक के कार्यवृत्त व दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न 21वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में विद्या परिषद की दिनांक 27 जुलाई 2024 को सम्पन्न 20वीं बैठक व दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न 21वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यवृत्त पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक–3)

बिन्दु सं0:–18.06–

शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु विभिन्न संस्थानों के सम्बद्धता प्रकरणों को मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति प्रदान की गयी है उक्त संस्थानों की सम्बद्धता रिपोर्ट कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष सम्बद्ध संस्थानों की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की कार्यवाही की जाती है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु राजभवन, उत्तराखण्ड से आतिथि तक प्राप्त विभिन्न संस्थानों के अस्थाई सम्बद्धता आदेशों जिन पर मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है उन संस्थानों की अस्थायी सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–18.07–

सादर अवगत कराना है कि गुरूकुल ट्रस्ट के अन्तर्गत सेलाकुई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सैलाकुई द्वारा संयुक्त एफ0डी0आर0 को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 परिषद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

गुरूकुल ट्रस्ट के अन्तर्गत सेलाकुई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सैलाकुई द्वारा संयुक्त एफ0डी0आर0 को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27 मार्च,

2023 को आयोजित कार्य परिषद की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 13.35 में सम्बन्धित संस्थान को प्लेज्ड एफ0डी0आर0 अवमुक्त करने हेतु निम्नवत निर्णय लिया गया था:–

1. प्रश्नगत प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन निर्गत किया जायेगा कि "संस्थान के उपर किसी की भी लेनदारी हो तो विज्ञापन जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक विश्वविद्यालय को अवगत कराया जा सकता है, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. विज्ञापन की कार्यवाही के उपरांत प्राप्त जानकारी पर प्लेज्ड धनराशि में से नियमानुसार शुल्क वापसी की कार्यवाही के उपरांत संस्थान से इस आशय का शपथ–पत्र विश्वविद्यालय में जमा कराया जाये गाकि "यदि संस्थान पर भविष्य में इन बंद हुए पाठ्यक्रमों के परिपेक्ष्य में किसी की देनदारी सुनिश्चित होती है, तो संस्थान उसकी प्रति पूर्ति करने हेतु वचनबद्ध होगा।

3. विज्ञापन कार्यवाही में होने वाले व्यय का वहन संदर्भित संस्थान द्वारा किया जायेगा।

तत्क्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–985/XLI-A/2024–06/2022, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय की मा0 कार्यपरिषद् द्वारा पूर्व में कार्यपरिषद् के उपरोक्त निर्णयों में शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नवत कार्यवाही कर उपरान्त संस्थान की एफ0डी0आर0 अवमुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:–

विनिश्चय–

- संस्थान से इस आशय का शपथ–पत्र विश्वविद्यालय में जमा कराया जायेगा कि "यदि संस्थान पर भविष्य में इन बंद हुए पाठ्यक्रमों के परिपेक्ष्य में किसी की देनदारी सुनिश्चित होती है, तो संस्थान उसकी प्रति पूर्ति करने हेतु वचनबद्ध होगा।
- शासन के निर्देशों के क्रम में संस्थान को उपरोक्तानुसार सशर्त रू0 14 लाख की एफ0डी0आर0 अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु सं0–18.08–

डॉ0 ए0के0 सिंह, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, टिहरी से सम्बन्धित प्रकरण मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ/निर्णयाण प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा उपरान्त डॉ0 ए0के0 सिंह, सहायक प्रोफेसर, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की आख्या के क्रम में निम्नवत कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:–

1. मा0 कार्यपरिषद् द्वारा समिति की संस्तुति जो कि निम्नवत है, पर विचार किया गया:–

"डॉ0 ए0के0 सिंह को दोषी पाये जाने पर उन्हें पदान्वत किया गया एवं निलम्बन की अवधि के वेतन का 50 प्रतिशत उन्हें भुगतान किया गया है। ऐसे में एक गलती की दो सजा देना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः डॉ0 ए0के0 सिंह को उनके निलम्बन काल के शेष वेतन का भुगतान किये जाने पर मा0 कार्यपरिषद् विचार कर सकती है"।

उक्त के क्रम में मा0 कार्यपरिषद द्वारा डॉ0 ए0के0 सिंह को उनके निलम्बन काल के शेष वेतन का भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्यपरिषद् द्वारा डॉ0 ए0के0 सिंह को उनके मूलपद पर नियमानुसार पुर्नस्थापित किये जाने पर असहमति व्यक्त करते हुए उन्हें वर्तमान पद पर ही कार्यरत रहने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–18.09–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2023–24 के अष्टम दीक्षांत समारोह के आयोजन के संबंध में मा0 कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव–

मा0 कार्य परिषद द्वारा आगामी अष्टम दीक्षांत समारोह में D.Lit व D.Sc की मानद उपाधि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति की अनुमति प्राप्त हाने के दृष्टिगत निम्नानुसार महानुभावों को दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मानद उपाधि D.Lit - पदमभूषण डॉ विजय भटकर, कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय

मानद उपाधि D.Sc - पदमश्री श्री अरविन्द गुप्ता विज्ञान शिक्षक व खिलौना अंविष्कारक,

इस कम में मा0 कार्यपरिषद अष्टम दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाली उपाधियों के पाठय्कमवार विवरण तथा पदकों के विवरण से अवगत हुई। साथ ही अष्टम दीक्षांत समारोह आयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए इस संबंध में समस्त कार्यवाही पर निर्णय लेने हेतु मा0 कुलपति महोदय को मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं0:–18–10

विश्वविद्यालय व कैंपस संस्थानों में शिक्षकों की Short Term Engagement (अल्पकालीन) 11 माह हेतु पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्त पोषित आधार पर रखे जाने की सूचना मा0 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय व परिसर संस्थानों में विगत में मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदनानुसार Assistant Professor- **Short Term Engagement** के आधार पर 11 माह के अवधि हेतु शिक्षकों की तैनाती 1:20 के शिक्षक, छात्र अनुपात (AICTE के मानक) पर ए0आई0सी0टी0ई0, पी0सी0आई0 एवं यू0जी0सी0, नई दिल्ली की व्यवस्था के अनुसार पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्त पोषित आधार पर (Short Term Engagement) 11 माह की अवधि हेतु रू0 57700/–नियत वेतन पर विश्वविद्यालय व परिसर संस्थानों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार निर्धारित चयन समिति की संस्तुति पर मेरिट लिस्ट से किये गये चयनों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस सम्बन्ध में मा0 परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा की गयी पृच्छा का प्रत्युत्तर तत्काल शासन को प्रेषित किया जाय।

बिन्दु सं0–18.11–

ज्ञानी इंदर सिंह इंस्टीटयूट ऑफ प्रोफेसनल स्टडीज, देहरादून के समापन व संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्थानों में स्थानान्तरित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव मा0 परिषद के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा संस्थान ज्ञानी इंदर सिंह इस्टीटयूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, देहरादून को विश्वविद्यालय विनियमावली में प्रदत्त व्यवस्था अनुसार शासन की पूर्व स्वीकृति उपरान्त संस्थान के समापन व छात्रों को अन्यत्र फार्मेसी संस्थानों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

बिन्दु सं0–18.12–(1)

विश्वविद्यालय द्वारा निम्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये है। माननीय कार्यपरिषद के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव–

माननीय कार्यपरिषद द्वारा निम्नवत संस्थाओं व प्रतिष्ठानों से निकट भविष्य में प्रस्तावित समझौता करार (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किये जाने हेतु सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

1- I. I.T. Roorkee
2- NITTR, Chandigarh
3- AIIMS Rishikesh
4- Wildlife Institute of India. Dehradun.
5- University of Patanjali, Haridwar,
6- Tribhuvan University, Nepal

साथ ही इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता, मा0 सदस्य कार्यपरिषद की अपेक्षा के क्रम में विश्वविद्यालय व इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में यथाआवश्यक कार्यवाही किये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–18.12–(2)

बैठक में उपस्थिति सदस्यों द्वारा उपरोक्त एजेंण्डा बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

- बैठक में उपस्थिति विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों के कतिपय निदेशकों की अपेक्षा के क्रम में सभी कैंपस संस्थान जहां अपना वाहन उपलब्ध नहीं है हेतु एक वाहन (प्रत्येक कैंपस संस्थान क्रमशः ए0के0आई0टी0, टनकपुर, आई0टी0, गोपेश्वर व आई0टी0 बॉन, उत्तरकाशी) पूर्व में कार्यपरिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार नियमानुसार कय किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।
- सभी परिसर संस्थान निदेशको को निर्देशित किया गया कि कैंपस संस्थानों में छात्रों हेतु मानकानुसार लैबों/वर्कशाप/उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोगात्मक कार्यों के संचालन में किसी प्रकार का कोई व्यावधान न आने पाये।
- विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों के कार्यालयों में पूर्णतः E-Office लागू किये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर आई0टी0डी0ए0 व एन0आई0सी0 से वार्ता कर विश्वविद्यालय को सहयोग दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में समस्त सम्मानित सदस्यों एवं मा0 कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि.

(प्रो0 शरद कुमार प्रधान)
निदेशक, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0 टिहरी

(डॉ0 अमित अग्रवाल)
निदेशक, आई0टी0 गोपेश्वर,

(डॉ0 डी0पी0 गैरोला)
से0नि0 प्रमुख सचिव न्याय, उत्तराखण्ड शासन

(पंकज कुमार गुप्ता)
प्रतिनिधि निदेशक,
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड

(किरन भट्ट टोडरिया)
पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पूर्व फिक्की अध्यक्ष

(डॉ0 मीनाक्षी रावत)
प्रतिनिधि निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की,

(अरविन्द सिंह पांगती)
सयुंक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन

(रजनी शुक्ला)
अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि.देहरादून।